अपील सूचना अधिकार संख्या 77/2021 (GCMS 2021/118) (आरटीआई नं. 21266713669139) राधेश्याम गोयल पुत्र स्व. श्री भगवान दास गोयल जाति अग्रवाल आयु 70 वर्ष निवासी 23 के ब्लॉक, श्रीगंगानगर(पोस्ट ऑडर क्रमाक 52एफ–509326) <u>बनाम</u> अतिरिक्त जिला कलेक्टर (प्रशासन) , श्रीगंगानगर

<u>18.01.2023</u>

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी श्री राधेश्याम गोयल स्वयं उपस्थित नहीं हुआ। पत्रावली का अवलोकन किया गया तो पाया कि अपीलार्थी ने लोक सूचना अधिकारी एवं अति. जिला कलक्टर(प्रशासन) श्रीगंगानगर से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत दिनांक 17.06.2021 से छः बिन्दुओं की सूचना चाही थी, जो लोक सूचना अधिकारी ने उसे निश्चित समय सीमा में उपलब्ध नहीं करवाई है इसलिए उसने लोकसूचना अधिकारी पर 25000/– रूपये शास्ति अधिरोपित करने, हर्जाना एवं वांछित सूचनाएं उसे उपलब्ध करवाने की प्रार्थना की है।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

मैनें पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी राधेश्याम गोयल ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 17.06.2021 के द्वारा लोक सूचना अधिकारी, श्रीगंगानगर से निम्न सूचना चाही थीः

1. वर्ष 2000–2001 का स्टाम्प विक्रय रजिस्टर **जिन जिन स्टाम्प वेण्डर** ने जिला कोषाधिकारी कायालय, श्रीगंगानगर में जमा करवाया है, उनका नाम, पता तथा दिनांक की सूचना व प्रमाणित प्रति।
2. श्री महेन्द्र छाबड़ा द्वारा माताजी के नाम का श्रीमती गंगा देवी पत्नी स्व. भगवान दास के नाम का जारी स्टाम्प विक्रय रजिस्टर दिनांक 8.4.2000 के स्टाम्प जारी किया गया का विक्रय पंजीयन का क्रमांक [illegible] **दिवस** कोष कार्यलय में महेन्द्र छाबड़ा [illegible] उस दिवस की सूचना स्टाम्प विक्रय रजिस्टर ज[illegible] करवाने की प्रमाणित

Signature Not Verified
Digitally signed by Sourabh Swami
Date: 2023.02.14 15:13:48 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

3. स्टाम्प वेण्डर द्वारा 2000—2001 वर्ष का स्टाम्प विक्रय रजिस्टर जमा करवाने के उपरान्त **जिस कार्यालय** द्वारा नया स्टाम्प रजिस्टर जारी किया जाता है उस कार्यालय का नाम।
4. श्री महेन्द्र छाबड़ा स्टाम्प वेण्डर द्वारा वर्ष 2000—2001 वर्ष का स्टाम्प विक्रय रजिस्टर जमा न करवाने की स्थिति में नया स्टाम्प रजिस्टर जिस नियम अधिनियम के अन्तर्गत श्री महेन्द्र छाबड़ा को जारी किया गया, **उस नियम व अधिनि**यम की सूचना व प्रमाणित प्रति।
5. जिला कोषाधिकारी श्री नरेश कुमार अग्रवाल व लोक सूचना अधिकारी, अतिरिक्त जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर ने अपने पत्रांक 436 दिनांक 3.122019 को जारी बिन्दु संख्या 3 में (जारी कोषाधिकारी कार्यालय) यह अंकित किया है कि प्रार्थी/आवेदक राधेश्याम विभाग को परेशान करने की नियत से आवेदन प्रस्तुत करना है, इस बाबत सूचना व प्रमाणित प्रति प्रार्थी ने जिस समय, कर्मकार व जिस विषय वस्तु पर विभाग को परेशान करने की नियत से आवेदन प्रस्तुत करता रहता है।
6. वह दस्तावेज प्रार्थी का जिसमें विभाग को प्रार्थी ने परेशान किया है।

जिला कोषाधिकारी, श्रीगंगानगर ने अपने पत्रांक **कोष/गंगा/स्था./2021/592 दिनांक 01.09.2021** से अपील का निर्णय निम्नानुसार प्रेषित किया है :

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है राधेश्याम गोयल के आवेदन पत्र के मुताबिक कोषाधिकारी के पत्रांक 436 दिनांक 03.12.2019 के अनुसार प्रमाणित प्रतिया चाही है। आवेदक से

Signature Not Verified
Digitally signed by Sourabh Swami
Date: 2023.02.14 15:13:48 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

सम्बन्धित आवेदन पत्र में राजस्थान राज्य सूचना आयोग जयुपर में परिवाद संख्या सीआईसी/एसजीएनजी/ए/2019/115065 विचाराधीन था। जिसमे दिनांक 06.11.2020 को निर्णय अपील खारिज हो चुकी है। निर्णय की प्रति संलग्न रिपोर्ट सेवा में प्रेषित है।

कोषाधिकारी
श्रीगंगानगर

मैनें, पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी ने यह अपील अति. जिला कलक्टर (प्रशासन), श्रीगंगानगर से छः बिन्दुओं की सूचना चाही थी अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना सूचना प्रश्नात्मक है और देय नहीं है। **सूचना का अधिकार अधिनियम 2005** की **धारा 2(एफ)** के अनुसार सूचना वही देय है जिस पर लोक सूचना अधिकारी की पहुंच हो अर्थात दूसरे शब्दों में सूचना वही देय है **जो निश्चित अभिलेखो में उपलब्ध हो और प्रश्नात्मक रूप में नही होनी चाहिए**। तृतीय पक्ष से सम्बन्धित नहीं होनी चाहिए एवं कार्यालय के कार्य संसाधनों को प्रभावित करने वाली अर्थात विस्तृत नहीं होनी चाहिए। **सूचना के रूप में प्रत्यर्थी न तो कोई नई सूचना बना सकते है और न ही वे स्वयं का मत दे सकते है। लोक सूचना अधिकारी से यह अपेक्षित है कि वह आवेदक को सामग्री उसी रूप में प्रदान करें जिस रूप में लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध है। सामग्री में से कुछ तथ्यों को खोज कर नागरिक को ऐसे खोजें गये तथ्यों को प्रदान करना लोक सूचना अधिकारी का काम नही है। इस अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत किसी लोक सूचना अधिकारी को किसी भी कार्य को किया जा सकने को करने या न करने के आदेश/निर्देश नही दिये जा सकते।** सूचना का अधिकार अधिनियम में प्रदत्त सूचना का अर्थ विभिन्न स्वरूपों में उपलब्ध सूचना तक सीमित है तथा **जिस स्वरूप में सूचना उपलब्ध है उसी रूप में उसे प्रदान किया जा सकता है। सूचना के रूप**

Signature Not Verified
Digitally signed by Sourabh Swami
Date: 2023.02.14 15:13:48 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

में कोई सुझाव देना,किसी परिवेदना के निवारण के लिए प्रार्थना करना अथवा किसी नियम या सामग्री के बारे में स्पष्टीकरण या उसकी व्याख्या प्राप्त करने की कोई गुंजाईश नही है। तथा लोक सूचना अधिकारी एवं अति. जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर ने अपने पत्रांक 1069 दिनांक 12.08.2021 से अपीलार्थी की मूल अपील कोषाधिकारी, श्रीगंगानगर को स्थानानतरित की गई थी। **कोषाधिकारी, श्रीगंगानगर ने अपने उक्त पत्रांक 592 दिनांक 01.09.2021 से अवगत करवाया है कि** अपीलार्थी की उक्त बिन्दुओं से सम्बन्धित **द्वितीय अपील माननीय राजस्थान राज्य सूचना आयोग, जयपुर द्वारा दिनांक 06.11.2020 को खारिज की जा चुकी है।** अब चूंकि अपीलार्थी की उक्त बिन्दुओं से सम्बन्धित द्वितीय अपील खारिज हो चुकी है। इसलिए भी यह अपील निष्प्रभावी अर्थात फलहीन हो गई है। इसलिए भी अपीलार्थी की अपील खारिज करने योग्य है।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत यह अपील खारिज की जाती है। आदेश की प्रति कोषाधिकारी, श्रीगंगानगर को पालनार्थ भिजवाई जावें एवं अपीलार्थी को आदेश की प्रति सूचनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब़ तकमी़ल दाख़िल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 18.01.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सौरभ स्वामी)
जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Sourabh Swami
Date: 2023.02.14 15:13:48 IST
Reason: SelfAttested